रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1973/माघ 12, 1894
No. 25] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1973/MAGHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st February, 1973

G.S.R. No. 50(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section(3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersessionof the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 457E, dated 2nd November, 1972, the Central Government hereby determines that for the puroposes of Sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	282
2.	Belgian Francs	536
3.	Canadian Dollars	12·22

(1)	(2)	(3)
4. Danish Kroners		83·60
5. Dutch Guilders		39·40
6. Dutsche Marks		38·90
7. French Francs		62·30
8. Italian Lire		7110
9. Japanese Yen		3650
10. Norwegian Kroners		81·10
11. Pound Sterling		5·2950
12. Swedish Kroners		57·90
13. Swiss Franc		46·00
14. U.S.A. Dollars		12·44

[No. 13/F. No. 503/16/72-Cus. VI.]

P. K. KAPOOR, *Under Secretary.*

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 50 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 457 ई० तारीख 2-11-72 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1	आस्ट्रियाई शिलांग	282
2	बैल्जियम के फ्रैंक	536
3	कैनाडा के डालर	12.22
4	डेनमार्क के क्रोनर	83.60

(1)	(2)	(3)
5	डच गिल्डर	39.40
6	जर्मन (डूस्से) मार्क	38.90
7	फ्रांस के फ्रैंक	62.30
8	इतालवी लीरा	7110
9	जापानी येन	3650
10	नार्वे के क्रोनर	81.10
11	पौन्ड स्टर्लिंग	5.2950
12	स्वीडन के क्रोनर	57.90
13	स्विट्जर लैंड के फ्रैंक	46.00
14	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर . . .	12.44

[सं० 13/फा० सं० 503/16/72-सी० शु०]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973